

## FORM No. III

Crim - 1

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

अज अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)

सुमित रावत

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर

किरम मुकदमा प्रथम अपील, सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005मुकदमा नम्बर 14 / 2020  
(आरसीएमएस न0 2020/00007)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27-08-2020	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/2205 दिनांक 25.8.2020 के जरिये टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री सुमित रावत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई, सूचना उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/1606 दिनांक 08.06.2020 के जरिये अपीलान्ट श्री सुमित रावत को जरिये डांक उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दू संख्या-4 व 9 के सम्बन्ध में प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर को आरटीआई 2005 की धारा 6(3)के तहत स्थानांतरित किया जाना बताया है। सूचना पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है।</p> <p>इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना जरिये डांक भिजवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से प्राप्त सूचना रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जाये।</p>	

सुमित रावत  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
धौलपुर